मंजू चौहान बनाम सरकार
मुकदमा संख्याः— 03 / 73 / 2024

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :—03 / 73 / 2024   ऑन लाईन नम्बरः—2024 / 384   प्रवेश तिथिः—21.06.2024

1. मंजू चौहान पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी बलदेवगढ तहसील टहला जिला अलवर।
..................प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब टहला तहसील टहला जिला अलवर।
...............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री धमेन्द्र सिंह जैसावत एड0—प्रार्थी
पैरोकार सरकार—अप्रार्थी

—:निर्णय:—   दिनांकः—12 / 11 / 2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू—राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 149 खसरा संख्या 2043 / 1.16, है0 वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। वादीनी ने अपनी आराजी की सुरक्षा के लिए पक्का डण्डा कर रखा है। गेट लगा रखा है। आराजी में सिचाई हेतु बोरिंग किया हुआ है। और बोरिंग से सिचाई कर पानी चारो ओर काश्त करती चली आ रही है। विवादित आराजी खसरासंख्या 2043 / 1.16 है0 एक समलत भूमि है। जिसमें चारो ओर हमेशा से काश्त होती रही है। ग्राम बलदेवगढ का बन्दोबस्त 2046 में हुआ तो बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारी व अधिकारीयों ने विवादित आराजी की किस्म चाही बारानी दर्ज न करके भूमि वर्गीकरण गै0मु0 राडा दर्ज कर दिया गया। जबकि विवादित आराजी में कभी भी गैर मु0 राडा मौके पर नही रहा न वर्तमान में है। हमेशा से चाही की काश्त होती रही है। और भूमि काफी उपजाउ भूमि है। बन्दोबस्त विभाग ने किस्म गै0मु0 राडा दर्ज की है। वो एक कलेरिकल त्रुटी है। जिसे न्यायहित में सही किया जाना आवकश्य है। इस गलती के कारण प्रार्थीया सरकारी योजनाओ का लाभ जो कृषि पर मिलते है। वो नही उठा पा रही है। क्योंकि ये लिपिकिय त्रुटी है। उसे शुद्व किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी खसरा संख्या 2043 / 1.16 है0 गै0मु0 राडा को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीया के नाम खातेदारी की किस्म चाही दर्ज किया जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हाजा न्यायालय के पत्रांक क्रमांक/कोर्ट/आर.ए./धारा–136/2024/267 दिनांक 21.06.2024 से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/2930 दिनांक 06.08.2024 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 149 खसरा संख्या 2043/1.16 है0 किस्म गै0मु0 राडा मंजू चौहान पत्नी भवानीसिंह हिस्सा पुर्ण जाति राजपूत निवासी 86 स्कीम नम्बर 8 गांधीनगर विस्तार अलवर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त हाल आराजी खसरा नम्बर 2043/1.16 है0 के साबिक खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 खसरा नम्बर 1701 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बलदेवगढ है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2037–40 के खाता संख्या 162 खसरा संख्या 1701 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै0मु0 राडा प्रभू नारायण पुत्रान पॉचू ब्राहम्ण हरि0 समान भाग सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2030–33 खाता संख्या 146 खसरा संख्या 1701 एकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै0मु0 राडा, 3 बीघा 14 बिस्वा बारानी अज व गै0मु0 राडा 1 बीघा प्रभू नारायण पुत्रान पॉचू ब्राहम्ण समान भाग सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारीज करने का निवेदन किया गया।

3. बहस प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि हाल आराजी खाता संख्या 149 खसरा संख्या 2043/1.16, है0 वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। वादीनी ने अपनी आराजी की सुरक्षा के लिए पक्का डण्डा कर रखा है। गेट लगा रखा है। आराजी में सिचाई हेतु बोरिंग किया हुआ है। और बोरिंग से सिचाई कर पानी चारो ओर काश्त करती चली आ रही है। विवादित आराजी खसरासंख्या 2043 एक समलत भूमि है। जिसमें चोरो ओर हमेशा से काश्त होती रही है। ग्राम बलदेवगढ का बन्दोबस्त 2046 में हुआ तो बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारी व अधिकारीयों ने विवादित आराजी की किस्म चाही बारानी दर्ज न करके भूमि वर्गीकरण गै0मु0 राडा दर्ज कर दिया गया। जबकि विवादित आराजी में कभी भी गैर मु0 राडा मौके पर नही रहा न वर्तमान में है। हमेशा से चाही की काश्त होती रही है। और भूमि काफी उपजाउ भूमि है। बन्दोबस्त विभाग ने किस्म गै0मु0 राडा दर्ज की है। वो एक कलेरिकल त्रुटी है। जिसे न्यायहित में सही किया जाना आवकश्य है। इस गलती के कारण प्रार्थीया सरकारी योजनाओ का लाभ जो कृषि पर मिलते है। वो नही उठा पा रही है। क्योंकि ये लिपिकिय त्रुटी है। उसे शुद्व किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी खसरा संख्या 2043/1.16 है0 गै0मु0 राडा को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीया के नाम खातेदारी की किस्म चाही दर्ज किया जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

4. मैने बहस प्रार्थी पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, संबंधित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 06.08.2024, जमाबन्दी सम्वत 2030—33, जमाबन्दी सम्वत 2037—40, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046, जमाबन्दी सम्वत 2069—75 वाके ग्राम बलदेवगढ का अवलोकन व विश्लेषण किया। विश्लेषण उपरान्त यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि उक्त आराजी कि किस्म पुर्व में गै0मु0 राडा दर्ज रिकार्ड है। जो प्रतिबंधित श्रेणी की किस्म है।

5. उपरोक्त विवचेन, संलग्न दस्तावेजन एवं तहसीलदार टहला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 अस्वीकार/खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः—

आदेश है कि—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 हाल आराजी खाता संख्या 149 खसरा संख्या 2043/1.16, है0 वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील टहला जिला अलवर अस्वीकार/खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला—अलवर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला - अलवर (राज.) सत्यमेव जयते